लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था–2 / सी / 45 / 09 / 2/3 भोपाल दिनांक 25/2/10

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ44–27 / 94 / 20-- 2,दिनांक 03 जनवरी 2006 में आदिम जाति कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं के परस्पर हस्तान्तरण के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस होने अथवा नवीन विभाग में संविलियन होने की सुविधा प्रदान की गई । इस आदेश के अनुक्रम में तालिका के कालम क्रमांक 2 में अंकित व्याख्याताओं द्वारा उनकी मूल संस्था आ.जा.क.वि. से स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति वाले विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग) में रहने का विकल्प 60 दिवस की समयावधि में सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है किन्तु निम्न लिखित लोकसेवकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हें प्रतिनियुक्ति वाले विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग) में ही संविलियन मान्य किया जाता है ।

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	श्री शिवराम दास गुप्ता	रसायन	शास.उ.मा.वि.क.देवसर जिला सीधी	
2.	श्री राजकुमार पटेल	हिन्दी	शास.उ.मा.वि.क.देवसर जिला सीधी	
3	श्री [illegible]	गणित	शास.उ.मा.वि.क.देवसर जिला सीधी	लो.शि.सं. को हस्तान्तरित शालाओं की सूची में सम्बंधित का नाम निरस्त करने उपरान्त संबंधित का संविलियन मान्य किया जावे ।
4.	श्री रामायण प्रसाद पटेल	गणित	शास.उ.मा.वि.अमरवाह जिला सीधी	
5.	श्री सत्यदेव धर द्विवेदी	अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि.क्र.-2 सीधी	लो.शि.सं. को हस्तान्तरित शालाओं की सूची में संबंधित का नाम निरस्त करने उपरान्त संबंधित का संविलियन मान्य किया जावे ।
6.	श्री रामायण प्रसाद मिश्र	गणित	शास.उ.मा.वि.जयन्त जिला सीधी	
7.	श्री रामप्रताप सिंह	राजनिति	शास.उ.मा.वि.[illegible] जिला सीधी	
8	श्री रामकृष्ण शुक्ल	भौतिकी	शास.उ.मा.वि.क.देवसर जिला सीधी	लो.शि.सं. को हस्तान्तरित शालाओं की सूची में संबंधित का नाम निरस्त करने उपरान्त संबंधित का संविलियन मान्य किया जावे ।

9.	श्री रामनरेश पाण्डेय	रसायन	उ.मा. हाई स्कूल पिपराढ जिला सीधी

2/– सरल क्रमांक 3,5,एवं 8 पर अंकित लोकसेवकों के नाम अमले सहित हस्तान्तरित शालाओ की सूची से मिलान कर पुनः परीक्षण करने के उपरांत ही संविलियन मान्य होगा। यदि उक्त प्रकरणों में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति निर्मित होती है तो तत्काल संचालनालय को प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा सीधी उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का पालन करने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/स्था–2/सी/45/09/213(6)
भोपाल दिनांक 24/2/10

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा एवं सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था–2 / सी / 45 / 09 / 211 भोपाल दिनांक 25/2/10

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ44–27 / 94 / 20– 2,दिनाक 03 जनवरी 2006 में आदिम जाति कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं के परस्पर हस्तान्तरण के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस होने अथवा नवीन विभाग में संविलियन होने की सुविधा प्रदान की गई । इस आदेश के अनुक्रम में तालिका के कालम क्रमांक 2 में अंकित व्याख्याताओं द्वारा उनकी मूल संस्था आ.जा.क.वि. से स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति वाले विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग) में रहने का विकल्प अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं जिसके अनुक्रम में एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा अनुसार निम्नांकित व्याख्याताओ का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग मे किया जाता है ।

स. क्र.	व्याख्याता का नाम एवं विषय	वर्तमान कार्यरत संस्था
1.	2.	3.
1.	श्री महेन्द्र प्रसाद शुक्ल (भौतिकी)	शास.क उ.मा वि सीधी
2.	श्री अशोक तिवारी (गणित)	शास उ.मा.वि.सपई जिला सीधी
3.	श्री विजय कृष्ण शुक्ल (भौतिकी)	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) सीधी
4.	श्री अमरनाथ सिंह (भौतिकी)	शास.उ मा वि.क्र 1 रीवा
5.	श्री देवदत्त शुक्ल (भौतिकी)	शास बा उ मा वि चाकघाट जिला रीवा
6.	उषा नम्बूद्री (जीवविज्ञान)	शास उ मा वि तेन्दूखेडा जिला नरसिंहपुर

1/ म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ44–27 / 94 / 20 -2,दिनांक 3 1 2006 के पैरा दो में अंकित बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार संबधीत संविलियित लोक सेवाको की वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण,म.प्र
भोपाल दिनांक 25/2/10

पृ. / क्रमांक / स्था–2 / सी / 45 / 09 / 212

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।

3. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला सीधी / रीवा / नरसिंहपुर म.प्र. ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी / रीवा / नरसिंहपुर ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सीधी / रीवा / नरसिंहपुर
7. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी / रीवा / नरसिंहपुर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी / रीवा / नरसिंहपुर ।
9. संबंधित की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.